



dfo\_chakrata\_uta@yahoo.co.in  
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 164 / 12-1

चकराता, दिनांक 10 जुलाई 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.0835 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ :- 1- प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/34380/2018  
2-आपका ई०डी०एस० दि० 30-06-2020।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण आख्या ऑनलाईन निम्नानुसार है -

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	State Govt. may clarify, if any approval under FCA has already been obtained for the construction of jeep road already constructed (as mentioned in the justification)	Justification में वर्णित दार्मिगाड-कथियान के किमी० 10 मे से 2.35 किमी० तक आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा जीप मार्ग निर्माण कार्य पूर्व ही किया जा चुका है। (प्रति संलग्न) जीप मार्ग को कथियान-डिरनाड मोटर मार्ग में परिवर्तित कर मोटर मार्ग निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है।
2	In para-4(i) of Part-II, Eco class is mentioned as Eco class-V but is likely to be eco class-vi. State Govt may upload the corrected information in this regard.	In para-4(i) of Part-II, Eco class is mentioned as Eco class-V is correct and same uploaded at designatę place. NPV calculation is uploaded at at sr no 2 in additional information as Part-II.
3	In para-14 of Part-II, CA stipulated is not commensurate to forest land diverted. State Govt may provide correct information at para-14 online-14 of online Part-II in district profile.	In para-14 of Part-II, CA stipulated is commensurate to forest land diverted and correct information is uploaded at para-14 in district profile as Part-II.

अतः आख्या ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता